न्यायालय– अपर सिविल जज (अवर खण्ड)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या –05 , बुलन्दशहर।
उपस्थितः– शालिनी–I (J.O. CODE NO. UP3363)

आपराधिक वाद संख्या - 181/2010
CNR NO. UPBU04-004145-2010

सरकार बनाम अनुज कुमार पुत्र सुधीर कुमार निवासी A.H.13 शास्त्री नगर थाना नौचंदी, जिला मेरठ हाल साई बाबा दरबार मोदी नगर थाना मोदी नगर, जिला गाजियाबाद

मुकदमा अपराध संख्या - 1195/07
अं० धारा - 279, 304A भा०दं०सं०
थाना - कोतवाली नगर, बुलन्दशहर।

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक वाद थाना- कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त अनुज कुमार के विरूद्ध धारा- 279, 304A भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत आरोप पत्र न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान के उपरान्त प्रचलित हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.07 को मेरी माताजी श्रीमती शान्ती देवी की दुर्घटना में रोडवेज बस स्टेन्ड के समाने मृत्यु हो गई। जिनका थाना कोतवाली नगर द्वारा पोस्टमॉर्टम कराया गया था। प्रार्थी को दुर्घटना करने वाले वाहन का नम्बर घटना के तुरन्त बाद पता नहीं चल सका था जिस कारण प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज नही करा सका था। अब प्रार्थी को सुनील पुत्र वीरपाल सिंह निवासी मकान नं०-270 मौहल्ला पुलिस लाईन रोड काला आम बुलन्दशहर जो बाहर रिश्तेदारी में जा रहे थे और उस दिन वह रोडवेज स्टेन्ड से ही बस में बैठ कर गए थे, ने रिश्तेदारी में से वापिस लौटकर आकर बताया कि रोडवेज में अनुबन्धित बस नं०-UP-15 AT0091 साहिबाद डिपो के चालक ने बस को तेजी व लापरवाही व उतावलेपन से चलते हुए मेरी माताजी श्रीमती शान्ती देवी को अपने घर आते समय सुबह करीब 7.45 बजे अपनी दिशा में चलती हुई में टक्कर मार दी थी जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी जिन्हें अस्पताल में अन्य लोगों ने पहुंचाया था जिनकी इलाज के दौरान देर रात मृत्यु हो गई थी।

3. विवेचना अधिकारी ने मामले की विवेचना कर अभियुक्त अनुज कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र थाना कोतवाली नगर जिला बुलन्दशहर द्वारा अन्तर्गत धारा- 279, 304A भारतीय दण्ड संहिता में विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4. दिनांक 06.01.2014 को अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 279, 304A भारतीय दण्ड संहिता का बयान मुल्जिम अंकित किया गया। अभियुक्त ने बयान को गलत बताया और विचारण की मांग की।

Digitally signed by Shalini
Date: 2025.04.15 16:00:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त अभियोजन की ओर से कोई साक्षी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं किया गया है। अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

6. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा- 313 दं0 प्र 0 सं0 के अधीन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

7. अभियोजन की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

8. किसी भी आपराधिक वाद में अभियोजन कथानक की साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों की युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। अगर अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहता है अथवा कोई संदेह का स्थान छोड़ता है तो इसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **हरेन्द्र सरकार बनाम स्टेट आफ आसाम ए०आई०आर०, 2008, सुप्रीम कोर्ट, पेज 2467** में यह अवधारित किया गया है कि *अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विधिक साक्ष्य इस स्तर का होना चाहिये कि न्यायालय एक विवेकशील मनुष्य की भांति यह उपधारित कर सके कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध किया गया है। आपराधिक न्याय प्रणाली में किसी भी अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा होती है। इस उपधारणा को खण्डित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है तथा इसके लिये अभियोजन को इस स्तर का साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है जिसके आधार पर अभियोजन कथानक युक्तियुक्त रुप से संदेह से परे साबित हो जाय अर्थात अभियोजन को अपने मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य की सत्यता साबित कर अपना कथानक साबित करना होता है। इस अनुक्रम में यदि अभियोजन आंशिक संदेह का स्थान छोड़ता है तो इसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होगा।*

09. प्रस्तुत मामलें में अभियोजन की ओर से तथ्य के किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। मामला वर्ष 2007 से विचाराधीन है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के पश्चात अभियोजन द्वारा तथ्य के किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि घटना की तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी मुकदमा की माताजी की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु कारित की गई हो।

10. इस प्रकार अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त अनुज कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304A भारतीय दण्ड संहिता सन्देह से परे सिद्ध नहीं होता है। परिणामस्वरूप अभियुक्त अनुज कुमार अन्तर्गत धारा- 279, 304A भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र सुधीर कुमार को मुकदमा अपराध संख्या 1195/07, अंतर्गत धारा- 279, 304A भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर के अंतर्गत आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उनके जमानतनामें निरस्त कर जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा धारा-437(ए)1 दण्ड प्रक्रिया सहिंता का अनुपालन अंदर सप्ताह किया जाए। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरांत दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक- 15.04.2025

(शालिनी-।)
अपर सिविल जज(अ 0 खं0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या-05, बुलन्दशहर।
J.0. CODE NO. UP3363

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 15.04.2025

(शालिनी-।)
अपर सिविल जज(अ 0 खं0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या-05, बुलन्दशहर।
J.0. CODE NO. UP3363